पत्रांक–11 न0 वि0 अभि0 (को0) 161/2017 1407 न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, भागलपुर।
कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
भागलपुर।

पटना, दिनांक 5/11/18

विषयः– AMRUT योजना अन्तर्गत भागलपुर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत लाजपत पार्क के सौन्दर्यीकरण कार्य के पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंगः– नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलपुर का पत्रांक–3641 दिनांक– 13.08.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयांकित योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति हेतु समर्पित किया गया है।

जाँचोपरान्त तकनीकी स्वीकृति की राशि निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग (₹लाख में)	पूर्व में प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि (₹लाख में)	पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि (₹लाख में)
1.	AMRUT योजना अन्तर्गत भागलपुर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत लाजपत पार्क के सौन्दर्यीकरण कार्य।	105.202 (आयुक्त के सचिव भागलपुर प्रमंडल के पत्रांक–48 दिनांक–11.02.2016)	81.74145 (इस कार्यालय के पत्रांक–38 दिनांक–18.01.2017 द्वारा प्रदत्त)	71.42762

अतः उक्त योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति की एक प्रति प्रावैधिक टिप्पणी के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0:– यथोक्त।

विश्वासभाजन

05/11/18

अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार पटना।

E:\V N File 2014\Bhagalpur\Bhagalpur T.S.docx

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
प्रावैद्यिक टिप्पणी

1 **योजना का नाम :-** AMRUT योजना अन्तर्गत भागलपुर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत लाजपत पार्क के सौन्दर्यीकरण कार्य।

2 **प्रशासनिक स्वीकृति राशि एवं प्रसंग :-** 1,05,20,200/-(एक करोड़ पाँच लाख बीस हजार दो सौ) रूपये मात्र। आयुक्त के सचिव भागलपुर प्रमंडल के पत्रांक-48 दिनांक-11.02.2016

3 **पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि:-** 71,42,762/-(एकहत्तर लाख बियालीस हजार सात सौ बासठ) रूपये मात्र

4 **(i)** कार्य स्वीकृत प्राक्कलन, निरूपण, आरेखन एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा।

(ii) प्राक्कलन की स्वीकृति दर की स्वीकृति नहीं माना जाय।

(iii) कार्य के आरंभ करने के पहले या बाद में यदि किसी प्रकार सुधार अथवा Modification की आवश्यकता महसुस हो तो तदनुरूप प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के पास बिना विलम्ब के समर्पित करें।

(iv) किसी प्रकार का शेष कार्य यदि हो तो तत्संबधी प्राक्कलन अधोहस्ताक्षरी के पास समर्पित करें।

(v) परिमाण विपत्र में भाषा, मात्रा एवं दर का मिलान स्वीकृत प्राक्कलन एवं अनुसूचित दर से कर लेगें।

(vi) पी0सी0सी0/आर0सी0सी0 कार्य की योजना में कार्य के दौरान Cube का Mould Cast करने के बाद Crushing Strength का Test अवश्यक करा लेंगे।

(vii) प्रगति प्रतिवेदन मासिक समर्पित करेगें।

(viii) गुणवता की जाँच हेतु कार्य स्थल पर व्यवस्था रखेंगे ताकि समय-समय पर निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें।

(x) कार्यपालक अभियंता स्वयं प्रत्येक आइटम आदि की जाँच कर लेगें तथा त्रुटि पाये जाने पर इस कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।

(xi) मिट्टी कार्य की जाँच हेतु स्थल के समीप TBM बना कर Level अंकित कर देगें।

(xii) विभिन्न कार्य में लगने वाले लौह छड़ (Reinforcement), Tata/SAIL/Ispaat Nigam/Vizaag Steel Make का होना चाहिए।

(xii) प्राक्कलन में दर्शाये गये क्योरी से ही लाये गये स्टोन चिप्स का ही उपयोग करना सुनिश्चित करें।

05/11/18

अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।